P-1 R.M.M. Law College - Saharsa.
Harendra Mandal | Hindu Marriage Act
part-time Lecturer | part-1

उप-पत्नी या रखैल के खिलाफ दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन प्राप्त नहीं किया जा सकता (धारा-9)
लक्ष्मण सिंह चन्द्रसिंह बनाम केसरबाई लक्ष्मण सिंह के मामले में पति द्वारा धारा-9 में प्रस्तुत की गयी याचिका में पत्नी द्वारा उसका विधिवत विवाह होने से इन्कार किया गया और स्वयं को आवेदनकर्त्ता की पत्नी नहीं माना जिस पर मध्य उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इस बात का भार पति पर है कि वह यह साबित करे कि जिसके विरुद्ध वह दाम्पत्य अधिकार मांग रहा है वह उसकी विधिवत पत्नी है अर्थात उससे उसका विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अनुष्ठापित हुआ था। यदि वह यह साबित नहीं कर पाता तो वह धारा-9 में किसी प्रकार के वैवाहिक अधिकारों को पुनः स्थापित नहीं करा सकता। यह कि कोई व्यक्ति अपनी उप-पत्नी (Concubine) या रखैल (Mistress) के खिलाफ दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन प्राप्त नहीं कर सकता।

वृद्ध माँ-बाप की सेवा के लिए पत्नी रखना, न कि वैवाहिक सम्बन्ध हेतु ऐसी सूरत में दाम्पत्य अधिकारों को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता - (धारा-9)
प्रमिला बाला बारिक बनाम रवीन्द्र नाथ बारिक के मामले में पक्षकारों का विवाह 1967 में हुआ और वे दो साल तक पति-पत्नी के रूप में साथ-साथ रहे उसके बाद पत्नी ने अपने पति के निवास छोड़ कर अपने माता-पिता के पास रहना शुरू कर दिया, अतः पति द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के पुनःस्थापन के लिए याचिका प्रस्तुत की गई जिसके विरुद्ध पत्नी का यह कहना था कि उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी और किसी न किसी बहाने उसे गन्दी-गन्दी गालियाँ देती थी। तथा यह शिकायत करती थी कि उसके माता-पिता ने पर्याप्त दहेज नहीं दिया + और उसका पति जो दूसरे स्थान पर अध्यापक की नौकरी करता था जब कभी घर जाता तो उसके कान

Scanned with CamScanner

गए कर उसे उसकाती थी | अतः उसका इन परिस्थिति में अपने सास ससुर के पास रहना कठिन हो गया और उसे उनका घर छोड़कर अपने माता-पिता के पास रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था | पत्नी ने पति के घर रहने के लिए इस शर्त पर कहा कि वह उसके साथ ही रहेगी | लेकिन पति ने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता | चूँकि उसके माता-पिता बूढ़े हो चुके हैं और उनकी देख-भाल करने के लिए उनके पास कोई न कोई ~~[illegible]~~ रहना आवश्यक है इसलिए उनसे अलग वह नहीं रह सकता | उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि पति का वास्तविक नीयत इस आवेदन में यह थी कि उसकी पत्नी उसके माता-पिता के पास आकर रहे और यही उसकी शिकायत थी और वह अपने माता-पिता की इच्छा की पूर्ति हेतु न कि अपने दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन हेतु अपनी पत्नी को अपने माता-पिता के पास रहने के लिए मजबूर करना चाहता था | इस प्रकार पति की दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया |

Scanned with CamScanner